बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0

"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2 पटना 800001

सूचना

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम बिहार राज्य अंतर्गत सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड में कम-से-कम 1000 मे0टन (6200 वर्गफीट अनुमानतः) क्षमता के गोदामों को 2 वर्षो की अवधि के लिए किराए पर लेने हेतु इच्छुक हैं। इस हेतु विवरण/शर्ते निम्न हैः-

(i) एक परिसर में कम-से-कम 1000 मे0टन (6200 वर्गफीट अनुमानतः) क्षमतावाले गोदामों को किराए पर दो वर्षों के लिए लिया जा सकेगा। गोदामों को एक अतिरिक्त वर्ष तक विस्तारित किए जाने पर, पूर्व की तरह किराया दर एवं शर्ते लागू रहेगी।

(ii) इच्छुक गोदाम धारक से विहित प्रपत्र में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.11.2021 से बढ़ाकर 30.11.2021, समय 5:00 बजे अपराह्न तक किया गया हैं। आवदेन विहित प्रपत्र में भरकर (हस्ताक्षर सहित) निबंधित डाक के माध्यम से अंतिम तिथि 30.11.2021, समय 5:00 बजे अपराह्न के पूर्व बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय, खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2 पटना 800001 को भेजा जा सकता है। विहित प्रपत्र www.sfc.bihar.gov.in (वेबसाईट) से डाउनलोड किया जा सकता है।

(iii) गोदाम धारक विहित प्रपत्र के साथ गोदाम के ले-आउट/स्कैच की प्रति भी जमा करेंगे।

(iv) तदोपरान्त, जाँच दल द्वारा गोदाम को खाद्यान्न भंडारण के लिए सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाये जाने पर, गोदाम का चयन प्रस्तावित न्यूनतम दर के आधार पर किया जाएगा।

(v) गोदाम चयन के दौरान एक प्रखंड में एक से अधिक सामान दर प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में गोदाम का चयन दूरी (ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड मुख्यालय वाले पंचायत की सीमा से/शहरी क्षेत्र में प्रखंड मुख्यालय वाले नगर निकाय की सीमा से दूरी) के आधार पर किया जाएगा।

(vi) जन वितरण प्रणाली दुकानदार तथा चावल मिल मालिकों से गोदाम किराये पर प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(vii) आवश्यकता नहीं रह जाने पर 03 माह पूर्व गोदाम धारकों को सूचना देते हुए किराया हेतु अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

17/11/21

महाप्रबंधक भंडारण